

फर्द अहकाम

पान्चीहवी

बनाम काना वगैरह

नाम न्यायालय

उपरखण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या

106/2015 दावा (बोलेसी) घोषणा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>21-2-22</p> <p>सुनीता</p> <p>वैपरीण्ड, एकलु काना घोषणा (आदिम पित) राजस्थान राज्य</p> <p>सिवांगार</p> <p>मदनलाल</p>	<p>जब (निकार किया) जाता है।</p> <p>अधीन उममपस ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर जारी किया कि 42/10/07 में राजीनामा से गमा है मुलाहिक राजीनामा लोकसहायत की भावना से स्वीकार किया जायत दावा राजीनामा के अनुसार डिडी दिया जायत वादीगण तथा उत्तरवादीगण के शीर्षक गमा जिनके द्वारा मुलाहिक राजीनामा के अनुसार दावा डिडी से जमे हुए निवेदन विमा उमम पस की पहचान उनके अधिकारों के की। इनके पत्रवाली का प्रलेखन किया गया पेश राजीनामा, उममपस के अधिकारों की कमी पर मनन किया गया। उममपस ने आपकी सहायता से यह राजीनामा पेश किया है जिसे स्वीकार किया जाता है।</p> <p>उममपस दावा वादी व उत्तरवादीगण के हक में मुलाहिक राजीनामा के अनुसार दावा डिडी किया जाता है कि हाल भाराजी खेरा नम्बर 208, 219, 220, 229, 245, 246, 319, 320 कुल बिहा 8 क्ख 1-21 ई० वरि ग्राम करत व दहीलवाहा के 1/2 भाग का वादीगण को व 1/2 भाग का उत्तरवादी सं० 2 शमस्वकप पुकाना उममपस के नाम पर करत व हाल सं. नं० 253, 207 गै. पु. पू. वरि ग्राम करत व दहीलवाहा के नाम पर उममपस के नाम पर अंकित हिस्से में 1/2 भाग का वादीगण व वेर 1/2 भाग का उत्तरवादी सं० 2 शमस्वकप को खोहदा कास्टका घोषित किया जाता है। राजीनामा तिथि का ध्यान रहेगा। तदाकाल राजस्व स्किफ्ट में उममपस के नाम पर दहीलवाहा कास्टका को लिखा जायत। उममपस डिडी जारी है। पत्रवाली दिनांक 12/3/22 को पेश है।</p> <p>उपरखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>


फर्द अहकाम


उप खण्ड अधिकारी शाहपुर
 बनाम काना कोरट
 संख्या / वर्ष 106/2015-174 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

12/3/22

पत्राचार के माध्यम से शाहपुर के प्रेस डीप प्रचारक के राजीनामा होना का विषय किमान हुआ है यह! पत्राचार के माध्यम से शाहपुर के प्रेस डीप प्रचारक के राजीनामा होना का विषय किमान हुआ है यह!


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत


उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर), राजस्थान
सदस्य



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या

:-106/2015

शीर्षक

- 1. पांची देवी पत्नी ओमप्रकाश
- 2. गजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
- 3. रेखा पुत्री ओमप्रकाश

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी चौबाडीया की तन कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र गोपी (मुतक दौराने विचारण)

1. सीणगारी पत्नी काना उर्फ कन्हैयालाल जाति जाट निवासीगण ढाणी चौबाडीया की तन कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

2. रामस्वरूप पुत्र काना जाति जाट निवासीगण ढाणी चौबाडीया की तन कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

3. दीपशिखा पुत्री रामस्वरूप

नाबालिग जरिये पिता रामस्वरूप पुत्र काना जाति जाट निवासीगण ढाणी चौबाडीया की तन कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

4. एकता पुत्री रामस्वरूप

5. सुनिता पुत्री काना पत्नी गिरधारी जाट निवासी बोबाडी तहसील जमवारामगढ जयपुर

6. गोदी देवी पत्नी घीसालाल जाति जाट निवासी अजीतगढ जिला सीकर

7. उप पंजियक अधिकारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर

8. राजस्थान सरकार (भू-धारक जरिये तहसीलदार) तहसील-शाहपुरा ,जिला जयपुर

9. पटवारी, पटवार मण्डल कांट तहसील कांट तहसील शाहपुरा जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 21.2.22

अतः दावा वादी व प्रतिवादी के हक में मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 208, 219,220, 229, 245, 246, 319,320, कुल किता 8 रकबा 1.21 है0 वाकै ग्राम कांट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के 1/2 भाग का वादीगण को व 1/2 भाग का प्रतिवादी सं0 2 रामस्वरूप पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल को व हाल ख.न. 253, 207 गै.मु. चाह वाकै ग्राम कांट तहसील शाहपुरा के काना उर्फ कन्हैयालाल के नाम अंकित हिस्से में 1/2 भाग का वादीगण व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी सं0 2 रामस्वरूप को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है। राजीनाम निर्णय का जुज रहेगा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे ।

निर्णय आज तारीख 21.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।



उप (उपखण्ड) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (जयपुर) उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्च

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की सामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की सामील			
जोड़		जोड़	